सारथी

APO फाउंडेशन बैच-10 .0
(हिंदी माध्यम)



12th November 2026

76-4000-3000

पाठ्यक्रम में शामिल राज्य

1. उत्तर प्रदेश 2. राजस्थान
3. मध्य प्रदेश 4. छत्तीसगढ़
5. बिहार 6. उत्तराखंड



पाठ्यक्रम में शामिल विषय



मुख्य एवं सहायक कानूनों के साथ सामान्य विधिक प्रावधान

सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक ज्ञान

माध्यम: हिंदी

*कुछ कक्षाएँ रिकॉर्डेड रूप में भी उपलब्ध रहेंगी

कोर्स का विवरण

कवर किए गए राज्य	6
वैधता	2 साल
लाइव एवं रिकॉर्डेड कक्षाएँ	✓
हस्तलिखित नोट्स	✓
दैनिक बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)	✓
प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज़	✓
समसामयिक घटनाएँ शामिल	✓
साक्षात्कार की तैयारी*	✓
मार्गदर्शन	✓
मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन	✓

Our Faculty



Pranjal Singh

- LL.B., LL.M., Ph.D (Pursuing)
- Chancellor Gold Medalist
- 7 years of teaching experience



Nishank Agrawal

- 5+ years of Experience
- LL.B. & LL.M. (Criminal Law)
- 1000+ Students Mentore
- UGC-NET (Law) Qualified (Twice)



Rekha Rathore

- LL.B. , LL.M.
- 8 years teaching experience
- UGC-NET (Law) Qualified



Nisha Lamba

* LL.B. | M.A. (English)
* Alumna, University of Delhi
* Delhi Judicial Services (DJS) Specialist
* Judiciary & Prosecution Exam Educator



Shashank Yadav

- 7+ Years of Teaching Experience
- LL.M. (Constitutional Law)
- Mentored 1000+ Students for Judiciary and CLAT Exams



Amit Anand

- B.A. LL.B. (Hons.)
- 5+ Years of Teaching Experience
- 5000+ Students Mentored



Muskan Kesharwani

- B.A. LL.B. (Hons) , CS
- Exams Qualified: UPPCSJ Interview, MPCJ Mains, Delhi Judiciary Mains



Abhishek Bhatt

- LL.B. & LL.M.
- Ph.D. Scholar (Technology Law & AI)
- 5+ Yrs of Teaching Experience
- UGC-NET (Law) Qualified



Anand Mishra

- BA.LLB(H), LLM (Criminal Law)
- Advance Diploma in ADR
- 30+ Judges, 50+ APO Qualified under Guidance
- 7+ Years of Teaching Experience



Kajol Sharma

- M.A.(ECONOMICS)
- LL.B.
- 5+ yrs of Teaching Experience



Saumya Singh

- B.A. LL.B. (Hons.)
- LL.M. (Corporate Law)
- Digital Educator & Mentor
- Mentored 1000+ Law Aspirants



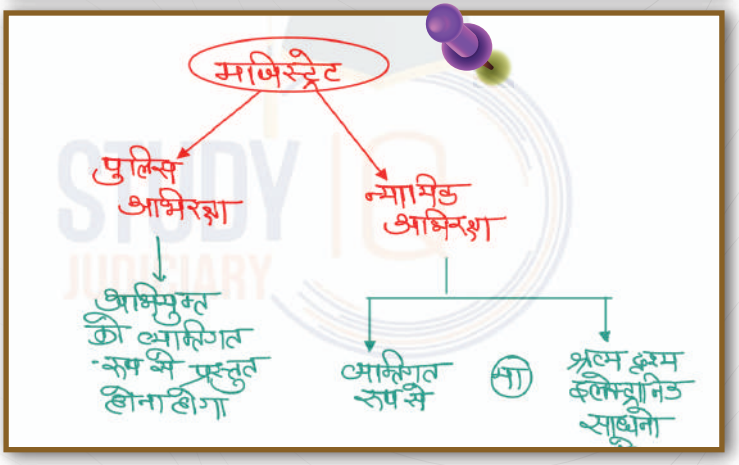
Renu Nagar

- B.A Program
- M.A (History)
- Digital Educator & content creator
- Mentored 800+ Law , UGC NET & CUET Aspirants

Hand Written Notes in Hindi

धारा - 187 BNSS

1. जब कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता हो कि अन्वेषण धारा 58 द्वारा नियत 24 घंटे में पूरी नहीं किया जा सकता तो अभियुक्त को अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी जो अपने से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह निकटम मजिस्ट्रेट के पास विहित डायरी की संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपी के साथ अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास



धारा 38: गिरफ्तार व्यक्ति का अधि[illegible] से मिलने का अधिकार

→ गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान चुने हुए वकील से मिलने का सुरक्षित है। हालाँकि, यह अधिकार पूछताछ के दौरान पूर्णअधिका तक सीमित है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त हो और साथ ही पुलिस को प्रभावी ढंग से पूछताछ करने की अनुम प्रवर्तन की माँगों और निष्पक्ष बचाव की आवश्यकता के बीच समझौत

धारा 39: नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी

→ जब कोई व्यक्ति जिसने असंज्ञेय अपराध किया है या करने का संदे छुपाता है या भ्रामक जानकारी देता है, तो इसे धारा 39 के अधीन आता है का वास्तविक नाम का पता लगाने के लिए, पुलिस अधिकारी उसे चुन सकता है। व्यक्ति के वास्तविक नाम और निवास स्थान की पुष्टि हो जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, तथा यदि आवश्यक हो तो मजि अनिवार्य होगा।

→ यदि व्यक्ति भारत में नहीं रहता है, तो भारत में रहने वाले जमानतदा होगी। यदि एक दिन में सही पहचान निर्धारित नहीं की जा सकती है या य से इनकार करता है, तो उन्हें तुरंत अधिकार क्षेत्र वाले निकटतम मजिस्ट्रे यह खंड सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति सटीक जानकारी देने से इनकार क हैं, साथ ही न्यायिक निगरानी के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा भी

धारा 40: प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया

3. मजिस्ट्रेट अभि[illegible] व्यक्ति का की अवधि से आगे के लिए अ प्राधिकृत कर सकता है जिसमे न लगता है कि ऐसा करने के पर्याप्त विद्यमान है किन्तु कोई भी म धारा मे दी हुई समामावधि से अन्वेषण के दौरान अभियुक्त को कर सकता

→ 90 दिन, यदि अपराध म कारावास या 10 वर्ष की अवधि से दण्डनीय है।

60 दिन, अन्य अपराध

गिरफ्तारी — व्याख्यान: 46

धारा 35

परिचय

→ गिरफ्तारी आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह कानून प्रवर्तन एजेंटों को उन लोगों को हिरासत में लेने की क्षमता प्रदान करती है जिनके बारे में उनका मानना है कि वे अपराध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करने, निगरानी में रखने या कानूनी संरक्षण में रखने का कार्य है, जब यह माना जाता है कि उसने कोई अपराध किया है। शब्दकोशों के अनुसार "गिरफ़्तारी" की परिभाषाओं में "निष्क्रिय करना", "रोकना", "अचानक और आकर्षक ढंग से पकड़ना" या "कानून के अधिकार द्वारा हिरासत में लेना या हिरासत में लेना" शामिल हैं। सामान्य तौर पर, गिरफ्तारी की परिभाषा किसी व्यक्ति की गतिविधि को समाप्त करना है।

→ हर मामले में पुलिस अधिकारी को तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षण करनी होती है और तय करना होता है कि वह गिरफ्तार करेगा या नहीं। अगर उसे गिरफ्तार नहीं भी किया जाता है तो भी बीएनएसएस की धारा 179 का नोटिस जारी करके उचित अन्वेषण की जा सकती है।

→ संज्ञेय अपराध जिसके लिए सात साल [illegible]धिक की सजा हो सकती है (खंड c): यदि किसी पुलिस अधिकारी को विश्वसनीय जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए अधिकतम सात साल की जेल या मृत्युदंड की सजा हो सकती है, तो अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। दी गई जानकारी के आधार पर, अधिकारी के पास विश्वास करने का करण है कि व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है।

→ उदघोषित अपराधी (खंड d): बिना वारंट के, किसी ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया जा सकता है जिसे संहिता या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो।

→ संदिग्ध चोरी की संपत्ति का कब्ज़ा (खंड e): यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जो संभवतः चोरी की गई है, और इस बात की उचित संभावना है कि उसने उस वस्तु से संबंधित कोई अपराध किया है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

→ पुलिस अधिकारी के कार्य में बाधा डालना या अभिरक्षा से भागना (खण्ड f): जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी के कर्तव्य निष्पादन में बाधा डालता है या विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग जाता है या भागने का प्रयास करता है, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

→ सशस्त्र बल से अभित्याजक (खण्ड g): कोई भी व्यक्ति जो संघ के किसी भी सशस्त्र बल से अभित्याजक होने का उचित संदेह हो, उसे अभिरक्षा में लिया जा सकता है।

Our Price

Price: ~~₹24,999~~

₹11,999



Reach Out To Us At **76-4000-3000**